

1991 में आरंभ की गई उदारीकरण प्रक्रियाओं के अनुरूप तथा आठवीं योजना में विकास युक्ति के निजी क्षेत्र की ओर झुकाव के अनुरूप, नौवीं योजना में कहा गया कि “हमारी विकास युक्ति इस प्रकार की होनी चाहिए जो हमारे व्यापक और फैले हुए निजी क्षेत्र को इतना सक्षम बना सके कि वह उत्पादन में वृद्धि, रोजगार-अवसरों के सृजन तथा समाज के आय स्तर में वृद्धि कर पाने की अपनी पूरी संभावनाओं को प्राप्त कर सके। आर्थिक प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाजारों के अनुशासन में कार्यरत शक्तिशाली निजी क्षेत्र दुर्लभ संसाधनों के कुशल प्रयोग को प्रोत्साहित करेगा जिससे न्यूनतम लागत पर तेज़ आर्थिक विकास हो सकेगा। इसलिए हमारी नीतियों से ऐसा माहौल बनना चाहिए जिससे यह परिणाम पा सकने में सहायता मिले।”⁶ इस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में नौवीं योजना में राज्य की भूमिका में इस प्रकार परिवर्तन करने की सिफारिश की गई थी जिससे वह निजी क्षेत्र के नियंत्रण व नियमन से ध्यान हटाकर सामाजिक विकास में (खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक विकास में) अधिक सक्रिय भूमिका निभा सके। इस प्रकार, नौवीं योजना में सरकार की विकास युक्ति का उद्देश्य ऐसी आर्थिक व सामाजिक आधारिक संरचना का निर्माण करना था जिसमें निजी क्षेत्र बिना किसी कठिनाई व रुकावट के अपने कार्य-कलाप को कर सके। अर्थात्, सरकार को बिजली व ऊर्जा की उचित व्यवस्था व प्रसार करने तथा सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे, संचार व्यवस्था, म्युनिसिपल सेवाओं (municipal services) इत्यादि के विकास व विस्तार पर विशिष्ट ध्यान देना था। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक आधारिक संरचना के अंतर्गत सिंचाई, ग्रामीण सड़कें, संगठित ग्रामीण बाजार इत्यादि आएंगे। आधारिक संरचना के विकास व निर्माण के अतिरिक्त, सरकार को मूलभूत सेवाओं (जैसे स्वास्थ्य सेवाओं तथा पीने की सुविधा इत्यादि) को भी आम जनता को (विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में) उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान देना था। औद्योगिक क्षेत्र में विकास युक्ति का प्रयास यह था कि निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबन्धों को कम से कम किया जाए तथा निजी क्षेत्र की उत्पादन गतिविधियों में नौकरशाही तंत्र व सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम हो। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का संबंध है, अन्ततः उनके निजीकरण के उद्देश्य से विनिवेश (disinvestment) की नीति जारी रखी गई और विनिवेश से जो संसाधन प्राप्त होने थे उनको सामाजिक क्षेत्रों (विशेष तौर पर स्वास्थ्य व शिक्षा) की योजनाओं पर खर्च करने का वादा किया गया। जहां तक विदेशी क्षेत्र का संबंध है, इसमें युक्ति इस प्रकार की रही कि आयात प्रशुल्क दरों को कम किया गया एवं मात्रात्मक प्रतिबंधों को समाप्त किया गया, निर्यातों के प्रसार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाए गए तथा निर्यात प्रोत्साहन में सहायता देने के लिए विदेशी विनिमय दर नीति का प्रयोग किया गया, और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उचित कदम उठाए गए।

वित्तीय क्षेत्र में, नौवीं पंचवर्षीय योजना का जोर वित्तीय सुधारों पर, खास तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर तथा पूंजी बाजार में सुधारों पर रहा। योजना में बीमा और पेंशन फंडों से संबंधित सुधारों पर भी जोर दिया गया। योजना आयोग का विचार है कि ये दीर्घकालीन पूंजी के स्वाभाविक स्रोत हैं और इसलिए इनका प्रयोग आधुनिक संरचना के वित्तीयन के लिए किया जा सकता है। योजना में साल दर साल भारी राजकोषीय घाटों (fiscal deficits) पर निर्भर रहने के खतरों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इस संदर्भ में योजना में एक ऐसी दीर्घकालीन राजकोषीय नीति अपनाए जाने की बात की गई जिसका उद्देश्य एक निश्चित समयावधि में राजकोषीय घाटे को एक सहनीय (sustainable) स्तर पर लाने की व्यवस्था हो। विशेष रूप से राजस्व घाटे (revenue deficit) को कम करने पर जोर दिया गया।

हालांकि नौवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन क्षेत्र में निजी क्षेत्र के दायरे को और बढ़ाने तथा बाजार शक्तियों के खुले प्रचालन पर जोर दिया गया था लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप के औचित्य को स्वीकार किया गया जहां या तो बाजार हैं ही नहीं अथवा जहां बाजार-शक्तियों के प्रचालन से ऐसे परिणाम प्राप्त होते हैं जो व्यापक राष्ट्रीय व सामाजिक हित में नहीं हैं। नौवीं योजना में तीन ऐसे क्षेत्रों की चर्चा की गई जिसमें बाजार अपूर्ण (imperfect) होने की संभावना है इसलिए जहां सरकारी हस्तक्षेप वांछनीय माना गया। ये तीन क्षेत्र हैं : (i) नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता, (ii) उत्पादक रोजगार अवसरों का सृजन, तथा (iii) क्षेत्रीय संतुलन।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07).

(Tenth Five Year Plan, 2002-07)

दसवीं पंचवर्षीय योजना औपचारिक रूप में 1 अप्रैल 2002 को शुरू हुई हालांकि इस योजना का दस्तावेज़ योजना शुरू होने से लगभग एक वर्ष बाद जारी किया गया। दसवीं योजना की अवधि 2002-03 से 2006-07 तक थी। दसवीं पंचवर्षीय योजना में संवृद्धि का लक्ष्य 8 प्रतिशत प्रति वर्ष रखा गया जबकि उपलब्धि 7.8 प्रतिशत प्रति वर्ष रही।

8 प्रतिशत संवृद्धि लक्ष्य के अलावा, दसवीं योजना में मानव विकास व कल्याण बढ़ाने की बात भी की गई तथा इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित विशिष्ट एवं पालनीय लक्ष्य (specific and monitorable targets) निर्धारित किए गए :

1. 2007 तक गरीबी अनुपात में 5 प्रतिशत तथा 2012 तक 15 प्रतिशत बिन्दु तक की कमी।
2. दसवीं योजना की अवधि में कम से कम उन लोगों को जो श्रम शक्ति में शामिल होंगे लाभकारी तथा उच्च-गुणात्मक रोजगार की उपलब्धि।
3. 2003 तक सभी बच्चों के लिए स्कूल का लक्ष्य ताकि 2007 तक सभी बच्चे 5 वर्ष तक की स्कूल शिक्षा प्राप्त कर चुके हों।
4. साक्षरता तथा मज़दूरी दरों में पुरुषों तथा स्त्रियों के बीच के अंतर में 2007 तक कम से कम 50 प्रतिशत की कमी।
5. 2001 से 2011 की दसवर्षीय अवधि में जनसंख्या वृद्धि की दर को 16.2 प्रतिशत तक कम करना।
6. योजना अवधि में साक्षरता दर को 75 प्रतिशत तक पहुंचाना।
7. 2007 तक बाल मृत्यु दर (infant mortality rate) को 45 प्रति हजार तक और 2012 में 28 प्रति हजार तक गिराना।
8. मातृ मृत्यु दर (maternal mortality rate) को 2007 तक 2 प्रति हजार तक तथा 2012 में 1 प्रति हजार तक गिराना।
9. 2007 तक वन-अधीन तथा वृक्ष-अधीन क्षेत्र को 25 प्रतिशत और 2012 तक 33 प्रतिशत तक बढ़ाना।
10. योजना अवधि के दौरान सभी गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराना।
11. सभी प्रदूषित मुख्य नदियों को 2007 तक तथा अन्य अधिसूचित जल स्रोतों को 2012 तक प्रदूषण रहित बनाना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार हालांकि बहुत सी पहली योजनाओं में भी कुछ उपरलिखित मुद्दों को उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया था तथापि इनके लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे। "इसके परिणामस्वरूप, इन्हें 'वांछनीय' तो माना जाता था, परन्तु 'अनिवार्य' नहीं और इन वांछनीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 'सर्वोत्तम प्रयास' (best endeavour) करने की नीति का ही अनुमोदन किया जाता था। परन्तु दसवीं पंचवर्षीय योजना में इन लक्ष्यों को आयोजन के ढांचे का उसी प्रकार केन्द्र बिन्दु माना गया है जैसाकि संवृद्धि के उद्देश्य को।"⁸